राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27 (30) ग्राविवि/ग्रुप–5/जीकेएन/तक.अनु.स./2015–16 जयपुर, दिनांक 09.02.2017

–:: बैठक कार्यवाही विवरण ::–

शासन सचिव, ग्रामीण विकास महोदय की अध्यक्षता में विभागीय तकनीकी अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 06.02.2017 को आहुत की गई है। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारीयों का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

बैठक के दोरान विस्तृत विचार विमर्श कर लिये गये निर्णय/निर्देश निम्नानुसार हैः–

1. **स्वच्छ भारत मिशन एवं मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम अभियान के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में श्रमिक से कार्य कराने की माप प्रकिया एवं ठोस एवं तरल कचरा निस्तारण सम्बन्धी गतिविधियों की दर निर्धारण पर चर्चा।**

अधीक्षण अभियन्ता, पंचायती राज द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्रामीण क्षैत्रो में स्वच्छ भारत मिशन एवं मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम अभियान सम्बन्धी कार्यक्रम के सुचारू रूप से कियान्वित कराने हेतु स्वच्छता एवं सफाई कार्य से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधिया एवं उनकी दरें तय करने, प्रकिया, साफ–सफाई का अन्तराल आदि तय करने के लिये जिला स्तरीय जिला दर निर्णायक समिति को अधिकृत किया गया था। कुछ ग्राम पंचायतों में साफ–सफाई कार्य के लिये प्रयुक्त मात्र श्रमिक, दर आदि का विवरण ही विभाग को उपलब्ध कराया गया, परन्तु स्वच्छता एवं सफाई कार्य से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधिया एवं उनकी दरें तय करने के सम्बन्ध में कोई उचित प्रस्ताव/परिणाम प्राप्त नहीं हुये। इस सम्बन्ध में शासन सचिव महोदय द्वारा असंतोष व्यक्त किया।

इस सम्बन्ध में श्री पराग चौधरी, अधिशाषी अभियन्ता, स्वच्छ भारत मिशन द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के स्तर पर की जा रही स्वच्छता एवं सफाई कार्य से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियां एवं समुचित व्यवस्था के सम्बन्ध में विस्तार से बताया गया। साथ ही उनके स्तर से नगर पालिका की दरों के अनुसार गांव की सड़क एवं नालीयों की साफ–सफाई हेतु ठोस एवं तरल कचरे के निस्तारण हेतु निर्धारित गतिविधियों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

विस्तृत चर्चा उपरान्त पायलट बेसिस पर प्रत्येक संभाग की किन्ही 2 ग्राम पंचायतों में निकटतम नगर पालिका क्षैत्र में प्रचलित प्रकिया अनुसार सम्बन्धित गांव में श्रमिकों का नियोजन कर साफ–सफाई की विभिन्न गतिविधियां तय करने, श्रम/सामग्री/उपकरण की मात्रा आदि का निर्धारित करने के निर्देश दिये गये। यह कार्य स्वच्छ भारत मिशन में गठित समिति द्वारा किया जावेंगा। इस समिति में सम्बन्धित जिला परिषद के अधिशाषी अभियन्ता (अभि.) को भी सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जावें। पायलट आधार पर आंकलित श्रम/सामग्री/उपकरण की मात्रा आदि के सम्बन्ध में जिला दर निर्णायक समिति के स्तर पर समुचित विश्लेषण एवं निर्णय किया जावें एवं उचित प्रस्ताव मय समिति की अनुशंषा स्वच्छ भारत मिशन को भिजवाया जावेंगा। तदनुपरान्त एक रूपता की दृष्टि से समुचित गतिविधिया व दर विश्लेषण/डीएसआर तैयार कर एक माह के भीतर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

2. **निर्माण कार्यो के उपयोगिता/पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु एक उच्चतर अधिकारी के हस्ताक्षर की बाध्यता पर चर्चा।**

सरपंच संघ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन दिनांक 11.01.2017 के बिन्दु संख्या 5 यूसी/सीसी पर एक उच्चतर अधिकारी के हस्ताक्षरा की बाध्यता को समाप्त करने की मांग के सम्बन्ध में एसओपी दिनांक 17.09.2014 के परिशिष्ट 5 पर बिन्दु संख्या 3 के अनुसार "सम्पूर्ण कार्य पूर्ण होने के पश्चात पूर्ण राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र सम्बन्धित तकनीकी स्वीकृति/संशोधित तकनीकी स्वीकृति जारी करने वाले **सक्षम प्राधिकारी के उच्चतर प्राधिकारी द्वारा पूर्ण संतुष्टि एवं कार्य साईट का पूर्ण निरीक्षण करने क बाद जारी किया जायेगा,** के प्रावधान पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में अधिकारीयों का दायित्व सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। इस क्रम में संभाग के अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा

अवगत कराया है कि जिला स्तर पर कार्यो की अधिकता के कारण मौके पर जाकर कार्यो का सत्यापन हेतु समय नही मिल पाता, जिससे पूर्णता प्रमाण पत्र लम्बित रहते है। अतः अधिशाषी अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति के कार्यो के लिये एक उच्चतर अधिकारी की शर्त को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। अधिशाषी अभियन्ता द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति वाले कार्यो के पूर्णता प्रमाण पत्र, उसी अधिशाषी अभियन्ता द्वारा पूर्ण सन्तुष्टि व कार्या का निरीक्षण करने के बाद ही जारी किया जावेंगा।

3. **मरम्मत कार्यो की तकनिकी स्वीकृति जारी करने के अधिकार के सम्बन्ध में चर्चा।**

एसओपी दिनांक 17.09.2014 के परिशिष्ट 3 में तकनिकी स्वीकृति (संशोधित सहित) जारी करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी को प्रदत्त वित्तीय शक्तियों में मरम्मत/रखरखाव के कार्यो के लिये निम्नानुसार वित्तीय सीमा निर्धारित की हुई है।

स्वीकृतकर्ता अधिकारी/समिति जिसको शक्तियॉ निहित है।	शक्तियों की वित्तीय सीमा (राशि रूपयों में)
	मरम्मत/रखरखाव
• कनिष्ठ तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता	50,000 तक
• सहायक अभियन्ता पं.सं./ जि.प.	1.00 लाख तक
• अधिशाषी अभियन्ता पं.सं./जि.प.	3.00 लाख तक
• अधीक्षण अभिन्ता, जि.प./ग्रावि एवं परावि	5.00 लाख
• अति. मुख्य अभियन्ता, ग्रावि एवं परावि	1.00 लाख

विभिन्न योजनान्तर्गत मरम्मत/रखरखाव के कार्य अधिक संख्या में करवाये जा रहे है। ऐसी स्थिति में इन कार्यो की तकनीकी स्वीकृति जारी करने हेतु प्रकरण उच्च अधिकारीयों के पास प्रस्तुत किये जाते है। कार्य का मोका निरीक्षण/परीक्षण करने में लगने वाले समय को देखते हुये मरम्मत/रखरखाव के कार्य की तकनीकी स्वीकृति जारी करने बाबत प्रदत्त शक्तियों की वित्तीय सीमा निम्नानुसार निर्धारित/संशोधन करने का निर्णय लिया गया।

स्वीकृतकर्ता अधिकारी/समिति जिसको शक्तियॉ निहित है।	शक्तियों की वित्तीय सीमा (राशि रूपयों में)
	मरम्मत/रखरखाव
• कनिष्ठ तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता	1.00 लाख तक
• सहायक अभियन्ता पं.सं./ जि.प.	2.00 लाख तक
• अधिशाषी अभियन्ता पं.सं./जि.प.	5.00 लाख तक
• जिला दर निर्धारण समिति के अनुमोदन उपरान्त अधिशाषी अभियन्ता (अभि.) एवं सदस्य सचिव, जि.द.नि.स. जिला परिषद	5.00 लाख से अधिक के समस्त कार्य

4. **निर्माण कार्यो के मूल्याकन एवं यूसी सीसी के उपरान्त कार्यकारी संस्था/अन्य से वसूली करने की व्यवस्था पर चर्चा।**

सरपंच संघ के द्वारा निर्माण कार्यो के मूल्याकन एवं यूसी सीसी के उपरान्त कार्यकारी संस्था से किसी प्रकार की वसूली न करने की मांग पर विभागीय प्रशासनिक अनुमोदन समिति की बैठक दि 1.12.16 में लिये गये निर्णय/निर्धारित प्रावधान "कार्यो के कार्य मूल्यांकन में अन्तर आने के कारण आधिक्य व्यय की वसूली कार्यकारी संस्था ग्राम पंचायत के लिए सरपंच, सचिव से एवं मूल्यांकन कर्ता/सत्यापित कर्ता अधिकारियों से अनुपातिक रूप से वसूली करने बाबत कार्य के उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी करने/कार्य सत्यापन के कम में सरपंच, सचिव, मूल्यांकनकर्ता अधिकारी (कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता), लेखाकर्मी/अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी (विकास अधिकारी, प.स.) आदि प्रमाणित कर्ताओं/हस्ताक्षरकर्ता से अनुपातिक बराबर–बराबर रूप से वसूली जावेगी", पर पुनः विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा उपरान्त निर्माण कार्यो के मुल्यांकन एवं यूसी/सीसी के उपरान्त किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाये जाने की स्थिति में उक्त प्रावधान अनुसार ही वसूली के प्रावधान को उचित माना गया।

5. **बीकानेर सम्भाग में अधिक पक्की ईंट खरंजा निर्माण में ईंटों की खपत मात्रा में अन्तर के कम में जिला परिषद से प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा।**

राजस्थान सरपंच संघ द्वारा बीकानेर सम्भाग ईंट खरंजा निर्माण कार्य के आईटमों के विश्लेषण में ईंट खपत मात्रा 51 से 57 करने की मांग की है।

बीएसआर साफ्टॅवेयर में अधिक पक्की ईंटों से खरंजा निर्माण कार्य से सम्बन्धित आईटमों के लिये 1 वर्गमीटर खरंजा निर्माण कार्य में खपत मात्रा खडी ईंट की संख्या 51 व पट ईंट की संख्या 35 निर्धारित है।
संशोधन बाबत मात्र एक सम्भाग बीकानेर द्वारा ही मांग की जाती रही है। जिला विशेष के लिये पूरे राज्य की बीएसआर में मात्रा में परिवर्तन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। जिला विशेष के लिये पूरे राज्य की बीएसआर की खपत मात्रा परिवर्तन से पूरे राज्य पर वित्तीय भार के क्रम में जिला दर निर्धारण समिति चूरू/बीकानेर से प्राप्त प्रस्ताव को विभागीय तकनीकी अनुमोदन समिति के समक्ष विचार किया जाना आवश्यक है।
बीएसआर सॉफटवेयर के उक्त आईटम (अधिक पक्की ईंट का खरंजा निर्माण) के दर विश्लेषण के सामग्री खपत मात्रा वास्तविकता से कम/ज्यादा है, के सम्बन्ध में वास्तविकता के आधार पर जिला स्तरीय जिला दर निर्णायक समिति की बैठक में समीक्षा उपरान्त समुचित प्रस्ताव मय समिति की अनुशंसा भिजवाने बाबत विभागीय पत्र दिनांक 01.02.2017 द्वारा बीकानेर संभाग के जिलों को निर्देशित किया है, परन्तु बैठक के दोरान किसी भी जिलें से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने की स्थिति में प्रकरण अनिर्णित रहा। इस सम्बन्ध में शासन सचिव महोदय द्वारा समुचित प्रस्ताव हेतु श्रीमती संगीता सोलंकी, अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद बीकानेर को 10 दिवस में प्रस्तुत करने हेतु पुनः निर्देशित किया गया।

6. **निर्माण कार्यो की शिकायत की जांच सम्बन्धी प्रमुख समस्यायों के स्थायी समाधान हेतु आईडबल्युएमएस पर पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ Geo tagged फोटो एवं माप पुस्तिका की PDF प्रति अपलोड कराने के सम्बन्ध में चर्चा।**
निर्माण कार्यो के ऑवर लेपिंग एवं पुनरावर्ति को रोकने की दृष्टि से निर्माण कार्यो के अन्तिम भुगतान से पूर्व सम्बन्धित कार्य की Time Stamped GEO Tagged photo जीआईएस मेपिंग अनिवार्य करने पर विचार विमर्श किया गया। कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका में दर्ज प्रविष्टि/मूल्यांकन आदि विवरण का सारांश PDF File के रूप में IWMS पर भी अपलोड कराये जाने पर निर्णय लिया गया।
7. **गांव की आन्तरिक सड़क की चौड़ाई स्थानीय आवश्यकताओं के अनसुार करने बाबत चर्चा।**
सरपंच संघ से प्राप्त ज्ञापन एवं ग्रामीण कार्य निर्देशिका– 2016 के प्रारूप पर चर्चा हेतु पूर्व में जिला प्रमुख/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ अधिशाषी अभियन्ता /सरपंच संघ/ ग्राम सेवक संघ के साथ आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में प्राप्त सुझावानुसार ग्राम के आन्तरिक सडको की अधिकतम केरीज विड्थ (चौडाई) दोनो तरफ की नाली सहित 6 मीटर तक रखने बाबत प्राप्त सुझाव पर सहमति उपरान्त प्रशासनिक अनुमोदन समिति की बैठक (दिनांक 01.12.2016) में "**गांव की आन्तरिक सडको की अधिकतम केरीज विड्थ (चौडाई) 3.75 मीटर तक रखी जावें, मोके पर उपलब्ध अतिरिक्त चौड़ाई में सडक निर्माण की आवश्यकता होने पर ग्रेवल सडक निर्मित की जा सकेगी। इसके उपरान्त नाली निर्माण अलग से करवाया जावें,**" का निर्णय लिया गया है।
IRC द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रावधान के अनुरूप गांव की आन्तरिक सडको की अधिकतम केरीज विड्थ (चौडाई) 3.75 मीटर तक ही प्रभावी होती है। अतः पूर्व में लिये गये निर्णय अनुसार गांव की आन्तरिक सडक की औसत चौड़ाई (केरीज विड्थ) 3.75 मीटर ही रखी जावें। उदाहरणतः 1 किलोमीटर गांव की आन्तरिक सडक में, यदि कही पर चौडाई 3.75 मीटर से कम अथवा कही पर चौडाई 3.75 मीटर से अधिक है तो दीवार से दीवार सडक बनायी जा सकती है, परन्तु 1 किलोमीटर सडक के लिये निर्धारित कुल क्षैत्रफल (कारपेट एरिया) 3750 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। इस सम्बन्ध में पृथक से स्पष्ट निर्देश जारी किये जाने के निर्देश दिये गये।
8. **सरपंच संघ की मांग "पंचायती राज संस्थाओं को भी बीएसआर दर पर सामग्री खरीद के आदेश प्रसारित करने" के क्रम में विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्त पत्र दिनांक 13.08.2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25.11.2016 (वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.10.2016 के क्रम में) पर चर्चा।**
विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्त पत्र दिनांक 13.08.2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25.11.2016 (वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.10.2016 के क्रम में) के मुख्य बिन्दु/प्रावधान पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। गैर सरकारी संघठनों को 10 प्रतिशत अंशदान दिये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जबकि पंचायती राज संस्थाओं (ग्रा.पं./पं.स)

को ऐसा न तो कोई प्रावधान नहीं है और न ही उनके पास किसी प्रकार की निधी/राशि उपलब्ध होती, है। इस सम्बन्ध में वित्तीय सलाहकार, ग्रावि/ईजीएस के स्तर पर उचित परिक्षण उपरान्त प्रकरण वित्त विभाग को प्रेषित कराने का निर्णय/निर्देश दिये गये।

9. **बीएसआर सॉफटवेयर में इन्टरलॉकिंग ब्लॉक से सड़क निर्माण एवं परिवहन सम्बन्धी आईटम के दर विश्लेषण में विसंगतियों के सम्बन्ध में।**
अधिशाषी अभियन्ता जिला परिषद कोटा द्वारा बीएसआर सॉफटवेयर में इन्टरलॉकिंग ब्लॉक सडक निर्माण एवं परिवहन सम्बन्धी आईटमों के दर विश्लेषण की विसंगतियों के शीघ्र निराकरण कराने बाबत अनुरोध किया। इस सम्बन्ध में श्री ओ.पी शर्मा, सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि इन आईटमों की विसंगतियां एवं इनके निराकरण बाबत कई बार स्मरण कराने के बाद भी सॉफटवेयर फॉरमेट में दर विश्लेषण उपसमिति/अधिशाषी अभियन्ता से प्राप्त नहीं हुआ है। काफी समय से प्रकरण उपसमिति/अधिशाषी अभियन्ताओं के स्तर पर अभी भी विचाराधीन है।
इसी सम्बन्ध में शासन सचिव महोदय ने श्री अरविन्द सक्सेना, अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस को उक्त विसंगतियों का निस्तारण करने एवं सॉफटवेयर फॉरमेट में व्यवहारिक दर विश्लेषण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। साथ ही श्री ओ.पी. शर्मा, सहायक अभियन्ता को भी उक्त विसंगतियों के शीघ्र निस्तारण कराने व अपेक्षित सहयोग हेतु श्री अरविन्द सक्सेना, अधिशाषी अभियन्त, ईजीएस से सम्पर्क करने हेतु भी निर्देशित किया गया।

10. जेसीबी व टेक्ट्रर से मिट्टी खुदाई कार्य का आईटम व दर विश्लेषण, जो कि अनुमोदित किया जा चुका है, को शासन सचिव महोदय द्वारा विभागीय बीएसआर सॉफटवेयर में तत्काल जोडने हेतु एमआईएस मेनेजर श्री पीयुष शर्मा को निर्देश दिये गये।

अन्त मे बैठक सधन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
2 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
3 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गाधी नरेगा, ग्रामीण विकास।
4 निजी सचिव, निदेशक, स्वच्छ भारत अभियान, पंचायती राज विभाग, चौपाल भवन, रेलवे स्टेशन के पास, जयपुर।
5 जिला कलेक्टर, अजमेर, बाडमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, टोंक एवं उदयपुर।
6 जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला दर निर्णायक समिति बीकानेर, चूरू गंगानगर एवं हनुमानगढ़ को भेजकर अनुरोध है कि ईट खरंजा निर्माण में ईंटों की खपत मात्रा के सम्बन्ध में वास्तविकता के आधार पर जिला स्तरीय जिला दर निर्णायक समिति की बैठक में समीक्षा उपरान्त समुचित प्रस्ताव मय समिति की अनुशंषा सहित शीघ्र भिजवाने का श्रम करावें।
7 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर, बाडमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, टोंक, उदयपुर, चूरू, गंगानगर एवं हनुमानगढ़ ।
8 अति0 निदेशक, ज.ग्र.वि. एवं भू–संरक्षण. विभाग।
9 अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास।
10 अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस),महात्मा गॉधी नरेगा।
11 अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0), पंचायती राज।
12 अधिशाषी अभियंता (अभि.) एवं सदस्य सचिव, जिला दर निर्णायक समिति जिला परिषद बीकानेर, चूरू, गंगानगर एवं हनुमानगढ़ को भेजकर लेख है कि अधिक पक्की ईटों के खरजें निर्माण कार्य के दर विश्लेषण बाबत वाछिंत प्रस्ताव शीघ्र भिजवाने का श्रम करावें।
13 श्री पराग चौधरी– अधिशाषी अभियंता, स्वच्छ भारत अभियान, पंचायती राज विभाग, चौपाल भवन, रेल्वे स्टेशन के पास, जयपुर।
14 रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

परिशिष्ट–1

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय तकनीकी अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 06.02.2017 में उपस्थित संभागियों का विवरण :–

1. श्री सी.एम तेजावत, अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्युएमपी), जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग जयपुर।
2. श्री मुकेश माहेश्वरी, अधीक्षण अभियन्ता, पंचायती राज विभाग।
3. श्री के.के शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास।
4. श्री अरविन्द सक्सेना, अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, ग्रामीण विकास।
5. श्री संजय शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता, पंचायती राज विभाग।
6. श्री पराग चौधरी, अधिशाषी अभियन्ता (अभि.), स्वच्छ भारत मिशन, पंचायती राज।
7. श्री सूनील कुमार जैन, अधिशाषी अभियन्ता (अभि.), जिला परिषद अजमेर।
8. श्रीमती संगीता सोलंकी, अधिशाषी अभियन्ता (अभि.), जिला परिषद बीकानेर।
9. श्री लोकेश दाधिच , अधिशाषी अभियन्ता (अभि.), जिला परिषद कोटा।
10. श्री प्रतिपाल सिंह, अधिशाषी अभियन्ता (अभि.), जिला परिषद जोधपुर।
11. श्री रामबाबु शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता (अभि.), जिला परिषद बाडमेर।
12. श्रीमती प्रज्ञा सक्सेना, अधिशाषी अभियन्ता (अभि.), जिला परिषद उदयपुर।
13. श्री लोकेश पूनिया, अधिशाषी अभियन्ता (अभि.), ग्रामीण विकास विभाग।
14. श्रीमती गीतिका सारस्वत, परियोजना अधिकारी, एसएपी, ग्रामीण विकास।